

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0-12/स्था0-01-44/2025

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, गोपालगंज के पत्रांक-1198 दिनांक 07.04.2026 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री दिलीप कुमार, कनीय अभियंता (आई0डी0-जे0 10595), बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0-1, पडरौना को उनके द्वितीय संतान के जन्म के फलस्वरूप वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-9889 दिनांक 01.12.2015 के आलोक में दिनांक 08.01.2026 से 22.01.2026 तक कुल-15 (पन्द्रह) दिनों का पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. नियंत्री पदाधिकारी उक्त अवकाश को HRMS Portal एवं सेवापुस्त में प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे, तत्पश्चात् भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, गोपालगंज को उनके पत्रांक-1198 दिनांक 07.04.2026 के प्रसंग में/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, पडरौना/कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0-1, पडरौना /श्री दिलीप कुमार, कनीय अभियंता (आई0डी0-जे0 10595), बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0-1, पडरौना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - 2434 पटना, दिनांक - 11/5/26
प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों के ई-मेल पता पर भेजने हेतु प्रेषित।

M. Q. AS 08/05/26
अवर सचिव (प्रबंधन)।